HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 19799/2026
CNR: RJHC020945712026 | URN: CW / 41355U / 2026

Mahant Prakashdas disciple of Late Shri Mahant Bhagwan Das Dadupanthi, Resident Of Thikana Gangabag, Rajgarh, Tehsil Rajgarh, District Alwar.

----Petitioner-Plaintiff

Versus

1. Pyarelal Gupta Government Senior Secondary School, Rajgarh, District Alwar, Through Its Principle.
2. District Education Officer Secondary (First), Alwar, Rajasthan.

----Respondents-Defendants

For Petitioner(s) : Mr. Prahlad Sharma, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE SAMEER JAIN

Order

17/11/2026

1. By way of the present petition filed under Article 227 of the Constitution of India, the petitioner has assailed the order dated 07.09.2026 passed by the Additional District Judge, Rajgarh, District Alwar.

2. It is submitted that an application filed by the respondent under Order XLI Rule 5 CPC has been allowed and the operation/ execution of the judgment and decree dated 19.03.2026 has been stayed.

3. Learned counsel for the petitioner submits that as per the judgment and decree dated 19.03.2026, the property was to be vacated within a period of three months. Counsel submits that admittedly, there was a delay in preferring the appeal, which was

supported by an application under Section 5 of the Limitation Act, for condonation of delay. The order sheets of the learned Trial Court reflect that the said application should have been considered prior to adjudication of the appeal or entertainment of application under Order XLI Rule 5 of CPC.

4. Learned counsel submitted that the possession of property in question was taken after following the due procedure of law, through intervention of the Court, for which he has relied upon Annex-7; Exhibit dated 06.08.2026.

5. Learned counsel for the petitioner, in support of his argument, has relied upon the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Gagandeep Pratishthan Pvt. Ltd. And Others Vs. Mechano And Another** reported in **[(2002)1 SCC 475]** and the order passed by this Court in the case of **Manni Devi Vs. Bhulli Devi and Others** in **S.B. Civil Writ Petition No.16193/2026** dated 01.09.2026.

6. Learned counsel for the petitioner submitted that without adjudicating the issue of delay, interim order or any order cannot be passed by the Court.

7. I have perused all the order sheets including the impugned order passed by the learned Trial Court as annexed with the present writ petition. The relevant portion of the impugned order dated 07.09.2026 is reproduced as under:-

> "इसके अतिरिक्त दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा यह जाहिर किया गया है कि विद्वान विहित विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.03.2026 की अनुपालना में विवादित जायजाद का कब्जा रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इन तर्कों के समर्थन में रेस्पोंडेन्ट की ओर से इजराय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात की सत्यप्रतिलिपि भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से यह जाहिर किया गया है कि इस प्रकरण से संबंधित इजराय कार्यवाही में अपीलांट को कभी भी निष्पादन अथवा विवादित सम्पत्ति के कब्जे का

परिदान किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि रेस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई इजराय कार्यवाही के दस्तावेजात में विवादित सम्पत्ति पर रेस्पोंडेन्ट/डिक्रीदार द्वारा मौके पर स्वयं के कब्जा प्राप्ति स्वरूप स्वयं का ताला लगाया जाना अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को बिना सूचना विवादित सम्पत्ति का डिक्रीदार के पक्ष में कब्जा परिदान किया जाना विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः निष्पादन कार्यवाही के दौरान विवादित सम्पत्ति के कब्जे के परिदान की कार्यवाही भी विधि अनुसार नहीं है। अतः विवादित सम्पत्ति की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में मूल पत्रावली एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा पेश किए गए निष्पादन कार्यवाही संबंधित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.03.2026 की अनुपालना में रेस्पोंडेन्ट/डिक्रीदार की ओर से इजराय कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी, जिसमें रेस्पोंडेन्ट के कथनानुसार मौके पर विवादित सम्पत्ति का कब्जा रेस्पोंडेन्ट/डिक्रीदार को संभलाया जा चुका है। उक्त कब्जा जैसाकि अपीलांट द्वारा जाहिर किया गया है कि विधि अनुसार नहीं संभलाया गया है। इसके संबंध में उभयपक्ष द्वारा दिये गये तर्कों का विनिश्चय मूल अपील के निस्तारण के समय किया जाना न्यायोचित है लेकिन प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए विवादित सम्पत्ति को अपील लंबन के दौरान संरक्षित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा न केवल अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा बल्कि पक्षकारान के बीच वाद बाहुलता में वृद्धि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर रेस्पोंडेन्ट को विवादित सम्पत्ति को अन्यथा कोई बय, अंतरण, रहन किये जाने से पाबंद किया जाना एवं कब्जे के परिदान के अलावा अन्य डिक्री के प्रचलन को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलांट/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी दिनांकित 20.07.2026 स्वीकार किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित **निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.03.2026 के बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 के प्रचलन को ताफैसला मूल अपील स्थगित किया जाता है** एवं रेस्पोंडेन्ट को विवादित सम्पत्ति का बय, अंतरण व रहन नहीं किये जाने बाबत ताफैसला मूल अपील पाबंद किया जाता है। **आदेश सुनाया गया।"**

8. On perusal of the aforesaid order, this Court observes as under:-

(i) Though there is an application for condonation of delay on record which has been submitted by respondent-Principal of the State School, explaining the cause of delay.

(ii) The said application is pending however was never objected when the argument was carried out before the Appellate Authority. Further, no such argument is spelled out in the said impugned order.

9. This Court has also noted that the order impugned in the present petition is an interim order and the Court below has drawn a conclusion that the disputed points referred, as above in the body of order, needs adjudication and it requires consideration, till then the property has to be kept intact.

10. In the facts and circumstances of the case, this Court is not inclined to interfere with the impugned order. However, considering the *lis* in question, this Courts expect that the adjudication will be carried out preferably within an upper limit of six months.

11. Accordingly, the present writ petition is disposed of with the aforesaid observations. Pending applications, if any, shall also stand disposed of.

(SAMEER JAIN), J

Crt_8/D-A/42/Himanshu Soni